केन्द्रीय सूचनां आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60015 दिनांक: 02.02.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2017/50831

अपीलकर्ता : श्री रवी कान्त शुक्ला,
117/क्यू/94 एल.आई.सी. सोसाइटी,
शारदानगर, कानपुर,
उत्तर प्रदेश – 208025.
मो0 – 9454944568.

निर्णय की तारीख : 02.02.2018

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	27.12.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री ए. के. तलपात्रा
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	01.02.2018

1. अपीलकर्ता ने दिनांक 13.12.2017 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी तीन द्वितीय अपील आदेशों की प्रति सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं करवाए जाने से संबंधित चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 13.12.2017 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुरूप है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।